



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265284
CG-DL-E-07082025-265284

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947

No. 490]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/SHRAVANA 15, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 533(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1(च) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 19 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 217 (ई) के आंशिक संशोधन में, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री तपस कुमार बिश्वास, द्वितीय श्रेणी ड्राइवर, मरीन विभाग को श्री असीम कुमार सुत्रधार, महासचिव, वॉटर फ्रंट कर्मकार राष्ट्रीय संघ (I) के स्थान पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तत्काल प्रभाव से सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अध्यधीन होगी। यह नियुक्ति, सदस्यता की वैधता की तारीख तक, अथवा सदस्यों की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वैध होगी।

[फा.सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
(PHRD Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2025

G.S.R. 533(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 (f) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G.S.R. No. 217 (E) dated 19th March, 2024, the Central Government hereby appoints Shri Tapas Kumar Biswas, 2nd Class Driver, Marine Department in place of Shri Asim Kumar Sutradhar, General Secretary, National Union of Waterfront Workmen (I) as Member representing the interests of employees on the Board of Syama Prasad Mookerjee Port Authority with immediate effect. The appointment of Member of the Board shall be subject to the provisions of the Major Port Authorities Act, 2021. The appointment is valid till the date of validity of check-off, or until the attainment of age of superannuation of the Members, or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.